## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 24.10.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **विभिन्न स्थानों से चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से आवैध तमंचे, कारतूस ताला तोडने/काटने के औजार तथा घटना में प्रयुक्त होण्डा कार बरामद।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.10.2025 को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 24.10.2025 की रात्रि में थाना कालिंजर एवं एसओजी की संयुक्त टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान ग्राम सौता मोड़ पर बांदा रोड की तरफ से एक होण्डा कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से पीछा किया गया, जिसके दौरान उक्त वाहन सढा लिंक रोड पर लगभग 01 किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर खंती में फँस गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त इरशाद के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जांच एवं पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त होण्डा कार में रात के समय निकलकर विभिन्न स्थानों पर घरों के ताले काटकर/तोड़कर एवं दुकानों के शटर काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी बांदा, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश सहित आस पास के अन्य जनपदों नकबजनी तथा चोरीकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि आज भी ये अभियुक्त किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अभियुक्तों के कब्जे से आवैध तमंचे, कारतूस ताला तोडने/काटने के औजार तथा घटना में प्रयुक्त होण्डा कार बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद पर पूर्व में भी हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़ सहित आधा दर्जन से अधिक मामलें दर्ज है।

**बरामदगी-**

- 02 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 01 चारपहिया (HONDA) (चोरी/लूट की घटना में प्रयुक्त)
- 1650 रुपये
- 01 अदद मोबाइल
- सब्बल, कटर, प्लास आदि

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. इरशाद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम हरदौल तलैया मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. सलमान पुत्र साहिद अली निवासी ग्राम हरदौल तलैया मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 183/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 कालिंजर मय टीम
2. श्री आन्नद कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरशाद पुत्र मुन्ना नि0 मर्दननाका थाना कोतवाली नगर-**

1. मु0अ0सं0 223/12 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 273/12 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 965/11 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 25/16 धारा 411/120 बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 1076/08 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 1110/13 धारा 395/412 भादवि थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
7. मु0अ0सं0 1111/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
8. मु0अ0सं0 1206/13 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान अली पुत्र साहिद अली नि0 मर्दननाका थाना कोतवाली नगर-**

1. मु0अ0सं0 06/12 धारा 452/323 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 1132/19 धारा 13 जुआँ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा